EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 549—553

Dated 28-4-2012

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2012

सा.का.नि. 87.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, समंक विधायन प्रभाग और सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग (ड्राईवर) भर्ती नियम, 1978 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, समंक विधायन प्रभाग, सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय में स्टॉफ कार ड्राईवर (साधारण श्रेणी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय समंक विधायन प्रभाग और सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग, स्टॉफ कार ड्राईवर (साधारण श्रेणी) भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि .**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)	4* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण 1 :** केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों से संबंधित अभ्यर्थियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में विहित ऊपरी आयु में छूट दी जा सकेगी । **टिप्पण 2 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) । यदि भर्ती रोजगार कार्यालय के माध्यम से हुई है, आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक अंतिम तिथि वह होगी जिस तिथि तक रोजगार कार्यालयों से नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक :— (1) मोटरकार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो । (2) मोटर यांत्रिकी का ज्ञान (3) कम से कम 5 वर्ष का मोटर कार चालन का अनुभव **वांछनीय :**—मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण और दोनों के न हो जाने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	आमेलन द्वारा : भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों (उनके अधीन संगठनों सहित) के समूह "ग" कर्मचारियों में से स्टाफ कार, क्षेत्रीय वाहनों को चलाने

	(11)
	में आवश्यक समझी गई सक्षमता के मानक के संदर्भ में उपयुक्तता का निर्णय करने के लिए डिजाइन किए गए चालन में परीक्षण के परिणाम पर आमेलन द्वारा जो स्तंभ 7 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं रखते हों । **प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण** भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और अन्य कार्यालयों में स्टाफ कार ड्राईवर/ड्राईवर के पदों को धारण कर रहे व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा । (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)		(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना:–		लागू नहीं होता ।
1. उप महानिदेशक, समंक विधायन प्रभाग	—अध्यक्ष	
2. निदेशक, समंक विधायन प्रभाग	—सदस्य	
3. कोई अन्य केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालय का कोई अधिकारी जो अनु. जा./अनु.ज.जा. समुदाय से संबंधित है	—सदस्य	
4. उप निदेशक (प्रशासन), समंक विधायन प्रभाग	—सदस्य	

[फा. सं. ए-12018/5/2011-प्रशा.-III]

शकुन पारदासानी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2012

G.S.R. 87.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Sample Survey Office, Data Processing Division and Survey Design and Research Division (Driver), Recruitment Rules, 1978, expect as respects of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the Ministry of Statistics and Programme Implementation, Data Processing Division and Survey Design and Research Division, National Sample Survey Office, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These Rules may be called the National Sample Survey Office, Data Processing Division and Survey Design and Research Division, Staff Car Driver (Ordinary Grade) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of said posts, their classification and pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualifications.** —No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Staff Car Driver (Ordinary Grade)	4* *Subject to variation depending on workload.	General Central Service Group 'C' Non-gazetted, Non-Ministerial	Rs. 5200-20200 with Grade pay of Rs. 1900	Not applicable	Not exceeding 25 years (Relaxation for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:** The upper age limit prescribed may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued from time to time by the Central Government. **Note 2.**—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchanges are asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential: (1) Possession of a valid driving licence for motor cars. (2) Knowledge of motor mechanics. (3) Experience of driving a motor-car for atleast 5 years. **Desirable:** Matriculation Examination pass from a recognized Board.	Not applicable	Two years

	(11)
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By absorption, failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment	**By absorption :** By absorption on the result of a test in driving designed to adjudge suitability for the post with reference to the standard of competence considered essential in driving of Staff Car, field vehicles from amongst Group-C employees in the Ministries /Department of Government of India (including organisations under them) possessing the qualifications specified in column 7. **By transfer on deputation :** By transfer on deputation of persons holding the posts of Staff Car Driver/Driver in the Ministries/Departments and other offices of the Government of India. (Period of deputation ordinarily not exceeding three years)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Deputy Director General, Data Processing Division —Chairman 2. Director Data Processing Division —Member 3. An officer from any other Central Government office belonging to the SC/ST community —Member 4. Deputy Director (Administration), Data Processing Division —Member	Not applicable.

[F. No. A-12018/5/2011-Admn. III]

SHAKUN PARDASANI, Under Secy.

MGIPRRND—1441 S&PI/12—100 Copies.